उत्तर प्रदेश शासन
बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग
संख्या-13/2022/677/58-1-22-2/3(27)/05
लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2022

**शुद्धि-पत्र**

पोषण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी के दो-दो सेट/वर्दी उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ निहित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-12/2022/3776/58-1-21-2/3(27)/05 दिनांक 15.03.2022 में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

(1) उक्त शासनादेश संख्या-12/2022/3776/58-1-21-2/3(27)/05 दिनांक 15.03.2022 के प्रस्तर-1 में अंकित "अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 तथा समाज कल्याण-102 बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के-80+राज्य-20-के+रा)" के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रू0 27,79,48,800.00 (रू0 सत्ताइस करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति" **के स्थान पर** "अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के-80+राज्य-20-के+रा)" के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रू0 27,79,48,800.00 (रू0 सत्ताइस करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र) **केन्द्रांश** की वित्तीय स्वीकृति" पढ़ा जाय।

(2) शासनादेश संख्या-12/2022/3776/58-1-21-2/3(27)/05 दिनांक 15.03.2022 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित "पोषण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी के दो-दो सेट/वर्दी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षक के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रु0 27,79,48,800.00 (रू0 सत्ताइस करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति सहित)" **के स्थान पर** "पोषण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी के दो-दो सेट/वर्दी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षक के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रु0 27,79,48,800.00 (रू0 सत्ताइस करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र) **केन्द्रांश** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति सहित)" पढ़ा जाय, अर्थात् उक्त धनराशि शत-प्रतिशत केन्द्रांश से वहन की जाएगी।

(3) शासनादेश संख्या-12/2022/3776/58-1-21-2/3(27)/05 दिनांक 15.03.2022 के प्रस्तर-2(3) में उल्लिखित शर्त "आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।" **के स्थान पर "आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा धनराशि का आहरण एवं वितरण नियमानुसार किया जायेगा"**, पढ़ा जाय।

(4) शासनादेश संख्या-12/2022/3776/58-1-21-2/3(27)/05 दिनांक 15.03.2022 के प्रस्तर-2(13) में उल्लिखित शर्त"स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा" **के स्थान पर "योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर विचार किया जायेगा"** पढ़ा जाय।

अत: शासनादेश संख्या-12/2022/3776/58-1-21-2/3(27)/05 दिनांक 15.03.2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

**(महावीर प्रसाद गौतम)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-13/2022/677(1) /58-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(महावीर प्रसाद गौतम)**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।